पट्टानामा जरई

सालाना लगान /रुपयें

स्टाम्प /रुपयें

स्टाम्प कमांक दिनांक

कितात + + + + + +

= /रुपयें

म्याद

हम

प्रथम पक्ष

व

द्धितीय पक्ष जो कि अराजी जरई अनुसूची मे दिखाई गई का प्रथम पक्ष पूर्ण रुप से मालिक बरूये फर्द जमाबन्दी साल ------ है आराजी उक्त पर द्धितीय पक्ष का कब्जा दिनांक ------- से बतौर पटटेदार मु0---------- रुपये प्रति कीला पर बतौर प्रिमियम के रुप मे देनी इकरार की हैं । जिसकी बाबत किरायानामा व बटाईनामा दिनांक-------- को किया गया है, जिसका पटटानामा तहरीर करना प्रथम पक्ष व द्धितीय पक्ष उचित समझते है । पर उन्होने किसी प्रकार का कोई भार पैदा नही किया हुआ है । आराजी उक्त पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नही चल रहा है । सो अब पक्ष प्रथम व द्धितीय पक्ष उक्त पटटानामा दिनांक----------तक के लिये तहरीर करते है कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त मुबलिग.....रुपये प्रति किला सालाना लगान पर द्धितीय प्क्ष को निम्न लिखित शर्तो पर दी है।

1- यह कि मोके पर कब्जा द्धितीय पक्ष का दिनांक.....से दे दिया है और यह पटटा दिनांक.....तक की अवधि तक वैध रहेगा।

2- प्रिमियम व जरे लागान की इस अवधि के दौरान द्वितिय पक्ष किराये के रुप मे प्रथम पक्ष को .....रुपये प्रति किला के हिसाब से नगद व प्रिमियम अदा कर देगा।

अतः यह पटटा नामा लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे

तारीख----------

अनुसूची

अनुसूची

खेवट/खतौनी/खसरा न.....तादादी.....कनाल.....मरला/बिघा.....विस्वा का .....
हिस्सा मिजरिंग.....कनाल.....मरला/.....बिघा.....विस्वा/.....
.वर्गगज/.....वर्गमीटर स्थित गांव/शहर.....हदबस्त न. .....
तहसील.....जमाबन्दी वर्ष.....।

गवाह

प्रथम पक्ष

गवाह

द्वितिय पक्ष